

बम्बर व ता
अहकाम जो
हुकम की तामी
जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला-अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 01/2017

मोती पिता छोगा उम्र बालिग जाति तेली निवासी ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला
अजमेर।वादी

ब ना म

राजस्थान राज्य बजरिये तहसीलदार महोदय बिजयनगर ।

—प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो न्यायालय के
अर्न्तनिहित अधिकार अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पुनः रि कॉल किया गया।

निर्णय

दिनांक 27.10.2017

न्यायालय हाजा द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 03.05.2017 को वादी का वाद डिक्री
किया गया था। न्यायालय के ध्यान में आया है कि ऐसे कई प्रकरण जो पेराफेरी क्षेत्र एवं
कमाण्ड एरिया में स्थित है, बाबत् पत्रावली उपखण्ड कार्यालय मसूदा की राजस्व शाखा
विचाराधीन है तथा जिनमें किसी भी प्रार्थी/पक्षकार को किसी प्रकार की गैर खातेदारी से
खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त भी राजस्थान भू राजस्व (कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के प्रावधानानुसार नगरपालिका परिधीय
क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन प्रतिबन्धित क्षेत्र है। उक्त आवंटन वर्ष 1974 के बाद का होने से
पेरोफेरी के प्रतिबन्धित क्षेत्र में होने के कारण आवंटन नियमों के प्रतिकूल व विधि प्रतिकूल है
एवं ab initio void है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक
01.09.1970 से ग्राम बाड़ी को कमाण्ड क्षेत्र घोषित किया गया है।

न्यायालय के ध्यान में आने पर न्यायालय में अर्न्तनिहित अधिकारों को प्रयोग करते
हुए अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत पुनः तलब किया जाकर प्रकरण का अद्योपांत
अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि उक्त उनवानी प्रकरण में वादी मोती को
ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0न0 133 रकबा 03-14-00
बीघा में कमाण्ड क्षेत्र की प्रिमीयम राशि तथा ग्राम बाड़ी की डी.एल.सी. की 10 प्रतिशत राशि
पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अपेक्षित राशि की अदायगी पर वादी को
विवादित आराजी में खातेदार दर्ज किया जाने एवं अदम अदायगी राशि पर निर्णय प्रभाव
शून्य माना जावेगा तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादी के कब्जे काश्त में
दखलंदाजी से निषेध किये जाने का निर्णय दिनांक 03.05.2017 को पारित किया गया था।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उच्चाधिकारियों के द्वारा समय-समय पर जारी
परिपत्रों एवं निर्देशों के आधार पर यह पाया गया है कि वादी ने सही तथ्यों को छिपाते हुए
न्यायालय को गुमराह कर गलत रूप से खातेदारी अधिकार हासिल किये गये हैं जो ग्राम
बाड़ी नगरपालिका बिजयनगर के एक किलोमीटर क्षेत्र में होने से आवंटन की प्रारंभिक
प्रक्रिया ही विधि शून्य है। अलावा इसके राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)
नियम 1970 के नियम 4 के प्रावधानानुसार नगरपालिका परिधीय क्षेत्र में कृषि भूमि आवंटन
प्रतिबन्धित क्षेत्र है। उक्त आवंटन वर्ष 1974 के बाद का होने से पेरोफेरी के प्रतिबन्धित क्षेत्र
में होने के कारण आवंटन नियमों के प्रतिकूल व विधि प्रतिकूल है एवं ab initio void भी
है। तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.09.1970 से ग्राम बाड़ी को कमाण्ड क्षेत्र
होने से खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अपने
अर्न्तनिहित अधिकार अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रयोग करते हुए न्यायालय हाजा
के पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2017 को अपास्त किया जाता है व उक्त निर्णय
दिनांक 03.05.2017 के आधार पर किये गये नामान्तरकरण प्रभाव शून्य घोषित किये जाते हैं
तथा वादी द्वारा यदि उक्त नामान्तरकरण के आधार पर किसी प्रकार का कोई बेचान
हस्तान्तरण आदि किया गया हो तो उसके भी प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा
तहसीलदार बिजयनगर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय दिनांक 03.05.2017 के
आधार पर किये गये किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए राजस्व
अभिलेखों/जमाबन्दियों में पूर्व में अंकित इन्द्राजात को यथावत किये जाने के आदेश पारित
किये जाते हैं। यथानुसार तहसीलदार बिजयनगर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज करते हुए
पालना सुनिश्चित करें।

